2022/62

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्रीमती निर्मला पत्नि श्री मोहनलाल<br>जाति कुम्हार<br>निवासी सेऊडा तहसील शिवगंज<br>जिला सिरोही। | | सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी<br>बाल विकास अधिकारी सिरोही |

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 15 वर्ष 2022

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.02.2022 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी बाल विकास अधिकारी सिरोही को दिनॉक 16.12.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि आंगनवाडी केन्द्र सेऊडा के जून 2021 से दिसम्बर 2021 तक सामग्री वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं ।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी बाल विकास अधिकारी सिरोही को दिनॉक 16.12.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि आंगनवाडी केन्द्र सेऊडा के जून 2021 से दिसम्बर 2021 तक सामग्री वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि बाल विकास अधिकारी सिरोही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट चाहे तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।<br><br>Bhallo<br>(डॉ. भँवर लाल)<br>**जिला कलक्टर, सिरोही**<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Bhanwar Lal<br>Date: 2022.02.15 18:17:16 IST<br>Reason: SelfAttested | |

Scanned with CamScanner